(34)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य, राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0) सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा (म0प्र0)

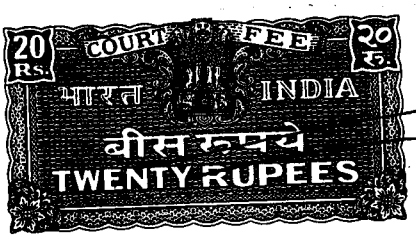

Rs. 20/-

निगरानी 2198-II-15

203
16.6.15

मुद्रिका प्रसाद मिश्रा तनय उर्मिला प्रसाद उम्र-45 वर्ष, निवासी ग्राम बैजनाथ, तहसील - हुजूर, जिला- रीवा, (म0प्र0) ------निगरानीकर्ता

बनाम्

1. उर्मिला प्रसाद मिश्रा तनय स्व0 सम्पत् कुमार मिश्रा उम्र-65 वर्ष,
2. कुशुमदेवी पत्नी श्री बृजेश कुमार मिश्रा उम्र-50 वर्ष,
3. अहिल्या देवी पत्नी श्री सुरेश कुमार मिश्रा उम्र-48 वर्ष,
4. बृजेश कुमार मिश्रा तनय स्व0 केशव प्रसाद उम्र-60 वर्ष,
5. नरेश कुमार मिश्रा तनय स्व0 केशव प्रसाद उम्र-48 वर्ष,
6. नारेन्द्र कुमार मिश्रा तनय स्व0 केशव प्रसाद उम्र-46 वर्ष,
7. राजेश कुमार मिश्रा पिता स्व0 श्री केशव प्रसाद मिश्रा उम्र-45 वर्ष,
8. उमेश कुमार मिश्रा पिता स्व0 श्री केशव प्रसाद मिश्रा उम्र-40 वर्ष,

सभी निवासीगण ग्राम बैजनाथ तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

----------गैरनिगरानीकर्तागण

श्री सुरेन्द्र सिंह तिवारी एड के द्वारा आज दिनांक 16.6.15 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 5853
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी बिरुद्ध निर्णय व आदेश अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा प्र0क्र0 - 51/निगरानी/11-12 निर्णय दिनांक 20/04/2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 सन् 1950ई0

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित है :-

1. यह कि कुशुमदेवी पत्नी विन्ध्येश्वरी प्रसाद गौतम एवं केशव प्रसाद गौतम द्वारा आपसी बटवारा नामान्तरण साता विभाजन के लिये भूमि नं0- 308, 309, 311, 363, 364, एवं 366 स्थित ग्राम बैजनाथ जिला रीवा के सम्बन्ध में दिनांक 22/12/2008 को नायब तहसीलदार बनकुइयाँ के यहाँ आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें उर्मिला प्रसाद तनय स्व0 सम्पतराम को अनावेदक बनाया गया था। सम्पतराम के 3 पुत्र थे जो क्रमशः केशव प्रसाद, विन्ध्येश्वरी प्रसाद, एवं उर्मिला प्रसाद थे।
2. यह कि उक्त प्रकरण के विचारण के दौरान कुशुमदेवी पत्नी विन्ध्येश्वरी प्रसाद की मृत्यु दिनांक 9/10/2009 को हो गई कुशुमदेवी द्वारा अपने जीवनकाल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.2198–II/15 जिला–रीवा

मुद्रिका प्रसाद/उर्मिला आदि

(1)	(2)	(3)
21.03.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	